न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 872–दो/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–04–2007 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 321/2005–06 अपील

लाखनसिंह (अब मृतक) पुत्र बाबूसिंह ठाकुर
वारिस
1– श्रीमती तुलसा देवी पत्नि स्व.लाखनसिंह
2– ब्रजेशसिंह 3– विनोदसिह
4– मनोजसिंह 5– राजेशसिंह
6– अनिलसिंह पॉचों पुत्र स्व.लाखनसिंह
निवासी ग्राम विजपुरी तहसील भिंड
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– महाराजसिह 2– कोकसिंह
3– सुरेन्द्र सिंह 4– राकेशसिंह
5– वीरेशसिंह 6– गोपालसिंह
7– नरेश सिंह सभी पुत्र बुद्धसिंह
8– बुद्धसिंह पुत्र दीवानसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम विजपुरी तहसील
व जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.एल.धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 8–10–2015 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 321/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि लाखन सिंह (अब मृतक) पुत्र बाबू सिंह ने नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि मौजा जैसूपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 13,14,15,16 कुल किता चार कुल रकबा 1.47 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) उसके स्वामित्व के हैं परन्तु पटवारी के बताने से ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि में से सर्वे नंबर 13 एंव 14 पर उनके चाचा के लड़कों नाम तथा सर्वे नंबर 15, 16 की भूमि पर चाचा बुद्ध सिंह का नाम दर्ज हो गया है इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी ने प्रकरण क्रमांक 13/2000-2001 अ 6 अ पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16.08.2001 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण के बजाय लाखन सिंह (अब मृतक) पुत्र बाबू सिंह के नाम अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी,भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 43/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.06 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 321/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी का आदेश दिनांक 16.08.2001 एंव अनुविभागीय अधिकारी,भिण्ड का आदेश दिनांक 30.06.2006 निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायव

तहसीलदार ने इस्तहार का प्रकाशन विधिवत् नहीं किया और अनावेदकगण को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी, जबकि भूमि अनावेदक के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी। आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा बताया गया कि नायव तहसीलदार व्दारा इस्तहार का प्रकाशन कराया गया है एंव सभी पक्षों को व्यक्तिगत सूचना जारी करके सुनवाई की गई है उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश को प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होना बताकर निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया। नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी के प्रकरण क्रमांक 13/2000-2001 अ 6 अ के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार व्दारा जारी किये गये इस्तहार की प्रति प्रकरण में संलग्न है जिसकी एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर एंव एक प्रति ग्राम के चौपाल पर चस्पा कराई गई है। नायव तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 10.8.2001 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक एंव सभी अनावेदकगण के कथन भी नायव तहसीलदार ने दर्ज किये हैं अतः यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय में वचाव प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

5/ नायव तहसीलदार के प्रकरण में अनावेकदगण के कथन संलग्न है जिनके अवलोकन से पाया गया कि अनावेदकगण ने स्वयं् स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक लाखन सिंह (अब मृतक) की है तथा वही उस पर खेती करता आ रहा है उनका नाम भूलवश शासकीय अभिलेख में दर्ज हुआ है, तभी नायव तहसीलदार ने खसरे में सुधार करने एंव अनावेदकगण के स्थान पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी,भिण्ड ने आदेश दिनांक 30.06.2006 से अपील निरस्त

कर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.08.2001 को स्थिर रखा है।

6/ अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 321/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 के पृष्ट पांच के अंतिम निष्कर्ष में अंकित है -

" तहसील न्यायालय व्दारा अपीलार्थीगण को सुने बिना मात्र रिस्पा. को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कब्जा इन्द्राज का आदेश पारित किया है''

इस परिप्रेक्ष्य में नायव तहसीलदार के प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 10.8.2001 के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है -

" प्रकरण पेश । प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी लाखनसिंह के कथन अंकित किये गये एंव प्रतिप्रार्थीगण बुद्धसिंह, सुरेन्द्र सिंह, नरेशसिंह, राकेशसिंह, बीरेन्द्रसिंह, कोक सिंह, महाराजसिंह, गोपाल सिंह सभी के कथन अंकित किये गये जो प्रकरण में सामिल हैं।''

जबकि अपर आयुक्त अपीलार्थीगण को सुने बिना मात्र रिस्पा. को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कब्जा इन्द्राज का आदेश पारित करने का उल्लेख कर नायव तहसीलदार व्दारा पारित विधिवत् आदेश दिनांक 16.08.2001 को एंव अनुविभागीय अधिकारी,भिण्ड द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर पारित आदेश दिनांक 30.06.2006 को निरस्त कर रहे है जिसके कारण अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 321/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 तहसील न्यायालय के प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 321/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007

त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी,भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 43/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2006 एंव नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2000-2001 अ 6 अ में पारित आदेश दिनांक 16.08.2001 स्थिर रहने से मौजा जैसूपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 13,14,15,16 कुल किता चार कुल रकबा 1.47 हैक्टर आवेदकगण के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर